डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

चरतसिंह पुत्र रंगे गूर्जर निवासी झाडीसा तहसील टोडाभीम। (वादीगण)

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली। (प्रतिवादी)

दावा बावत नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 व 136 एल.आर.एक्ट

मु0न0 38 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट नकानिब गुदई रूबरू पैरोकार सरकार हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया ाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः वादी का दावा स्वीकार करते हुये ग्राम ग्राम झाडीसा की जमाबन्दी सम्वत 073–76 के खाता संख्या 19, 27, 32, 34, 35, 92, 98, 99, 124, 125, 126, 127, 128, 97, 198, 199 वादी का नाम चरणसिंह पुत्र रंगे जाति गूर्जर के स्थान पर चरतसिंह पुत्र रंगे ाति गूर्जर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम राजस्व रिकार्ड मे क्तानुसार अंकन करे।

निज.....................मुबलिंग............................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के य शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. ादा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.10.2020 को जारी की

29/10/2020
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

ई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
ाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
ाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
ाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
़नताना वकील			खर्चा गवाहान		
र्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
ास कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ात इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
ाफरिक					

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

3/20

तारीख रजू:– 06.07.2020

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

चरतसिंह पुत्र रंगे गूर्जर निवासी झाडीसा तहसील टोडाभीम।

(वादीगण)

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादी)

दावा बावत नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 व 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (वादी)

पैरोकार सरकार

दिनांकः– 29.10.2020

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झाडीसा राजीयात खाता संख्या 27 कुल किता 4 कुल रकवा 0.42 है0, खाता संख्या 32 कुल कुल रकवा 1.44 है0 खाता संख्या 34 कुल किता 2 कुल रकवा 0.16 है0 खाता 5 कुल किता 13 कुल रकवा 2.59 है0 खाता संख्या 92 कुल किता 1 कुल रकवा 0. खाता संख्या 98 कुल किता 4 कुल रकवा 1.18 है0, खाता संख्या 99 कुल किता 1 वा 0.34 है0, खाता संख्या 124 कुल किता 3 कुल रकवा 0.37 है0 खाता संख्या 125 ता 1 कुल रकवा 0.30 है0 खाता संख्या 126 कुल किता 2 कुल रकवा 0.70 है0 ख्या 127 कुल किता 4 कुल रकवा 0.50 है0 खाता संख्या 128 कुल किता 7 कुल 09 है0 खाता संख्या 197 कुल किता 5 कुल रकवा 0.79 है0 खाता संख्या 198 कुल कुल रकवा 4.10 है0 खाता संख्या 199 कुल किता 10 कुल रकवा 3.23 है0 खाता 9 कुल किता 16 कुल रकवा 2.79 है0 ग्राम झाडीसा मे वादी का नाम चरन सिंह दर्ज प्रार्थी का सही नाम चरतसिंह है। राजस्व रिकार्ड मे चरतसिंह के स्थान पर चरन कर दिया है।

वादी के पिता का नाम रंगे पुत्र गंगाधर है रंगे के तीन पुत्र चरतसिंह, हरगुन, है। प्रार्थी के समस्त रेवन्यू रिकार्ड को छोडकर बच्चो के शेक्षणिक दस्तावेज तथा र्ड मे प्रार्थी का नाम चरतसिंह है। इसलिये प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड मे चरन सिंह के चरत सिंह करवाने का हकदार है।

वादी द्वारा बैक से ऋण लेने की पत्रावली बनाते समय बैक के कर्मचारियो द्वारा कन की गलती को पकडकर बताया इस पर वादीगण समस्त रेवन्यू रिकार्ड लेकर 18.03.2020 को तहसीलदार से मिला तथा रेवन्यू रिकार्ड दुरूस्त करने को कहॉ तो दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा संशोधन के आदेश लाने को कहा इसलिये यह करना आवश्यक हुआ है।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर खाता संख्या 19, 27, 32, 34, 35, 92, 98, 99, 124, 125, 126, 127, 128, 197, 198, 199 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 ग्राम झाडीसा की खातेदारी मे वादी का नाम चरनसिंह के स्थान पर चरतसिंह करने के आदेश पारित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 ग्राम झाडीसा स्थित खाता संख्या 19, 27, 32, 34, 35, 92, 98, 99, 124, 125, 126, 127, 128, 197, 198, 199 मे चरनसिंह पुत्र रंगे रिकार्ड दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता के फौत होने पर विरासत के नामांतकरण संख्या 44 दिनांक 22.5.1992 से दर्ज हुआ है। चरन सिंह पुत्र रंगे व चरतसिंह पुत्र रंगे एक ही व्यक्ति है। चरन सिंह पुत्र रंगे जाति गूर्जर ग्राम झाडीसा मे अन्य कोई व्यक्ति नही है। अतः चरनसिंह पुत्र रंगे जाति गूर्जर के स्थान पर चरत सिह पुत्र रंगे जाति गूर्जर शुद्व किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन मे प्रार्थी वकील ने बहस करते हुये प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया कि पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामांतकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम चरत सिह के स्थान पर चरन सिह दर्ज कर दिया सही नाम चरतसिंह ही है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे भी नाम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है प्रार्थी के जनआधार कार्ड न0 4747740545, आधार कार्ड संख्या 4460 2395 6278,मे भी नाम चरतसिंह ही दर्ज है। इसलिये राजस्व रिकार्ड मे चरनसिंह के स्थान पर चरतसिंह दर्ज कराने के आदेश फरमावे। पैरोकार सरकार ने भी वादी वकील के कथनो का समर्थन करते हुये चरनसिंह के स्थान पर चरतसिंह दर्ज करने का समर्थन किया।

प्रार्थी वकील और पैरोकार सरकार की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेज जनआधार कार्ड न0 4747740545, आधार कार्ड संख्या 4460 2395 6278, मे नाम चरतसिंह ही दर्ज है। पत्रावली मे शामिल नकल जमाबन्दीयो सम्वत 2073–76 चरणसिंह पुत्र रंगे दर्ज है। पैरोकार सरकार की अभिशंषा के आधार पर ग्राम ग्राम झाडीसा स्थित खाता संख्या 19, 27, 32, 34, 35, 92, 98, 99, 124, 125, 126, 127, 128, 197, 198, 199 मे वादी का नाम शुद्व करते हुये चरतसिंह पुत्र रंगे दर्ज किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः वादी का दावा स्वीकार करते हुये ग्राम ग्राम झाडीसा की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 19, 27, 32, 34, 35, 92, 98, 99, 124, 125, 126, 127, 128, 197, 198, 199 वादी का नाम चरणसिंह पुत्र रंगे जाति गूर्जर के स्थान पर चरतसिंह पुत्र रंगे जाति गूर्जर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम राजस्व रिकार्ड मे उक्तानुसार अमल करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया

29/10/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला करौली

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली

जिला कलेक्टर